[2018] 13 एस. सी. आर 950

भारत शंकर निगम लिमिटेड

वी.

सूर्यनारायण और ए. एन. आर.

(2009 की आपराधिक अपील संख्या 170)

13 दिसंबर, 2018

[डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड और

एम. आर. शाह, जे. जे.]

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973: एसएस। 451 , 452 – संपत्ति का निपटान-दूरसंचार के गोदाम से तांबे की सामग्री की चोरी।

विभाग-अभियुक्त ने कथित रूप से पहले प्रतिवादी को सामग्री बेची, पहले प्रतिवादी से तांबे के सीसे के मिश्र धातु के सांचों की जब्ती और मजिस्ट्रेट द्वारा एस के तहत अपीलार्थी को सौंपी गई अंतरिम हिरासत। 451 – एस. एस. के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया गया। 457 , 381 , 461 , 462 , 411 आर/डब्ल्यू एस। 34 आई. पी. सी.-सभी अभियुक्तों को बरी करना प्रथम प्रतिवादी ने एस. के तहत मिश्र धातु के सांचों को छोड़ने की मांग की। 452 प्रथम प्रतिवादी द्वारा दायर सामग्री को जारी करने के लिए आवेदन को स्थगित कर दिया गया था-बरी किए गए मजिस्ट्रेट के खिलाफ राज्य की अपील को खारिज करने से पहले प्रतिवादी को जब्त की गई सामग्री की हिरासत से इनकार कर दिया गया, बल्कि उसे दीवानी अदालत के समक्ष अपना हक साबित करने के लिए हटा दिया गया-सत्र अदालत ने मजिस्ट्रेट के निष्कर्ष की पुष्टि की-उच्च न्यायालय ने कहा कि

अपीलार्थी ने ज़ब्त की गई सामग्री पर कोई दावा नहीं किया था और यह कि चूंकि ज़ब्त की गई सामग्री का कब्जा पहले प्रतिवादी से ले लिया गया था, इसलिए इसे पहले प्रतिवादी को बहाल किया जाना चाहिए और हालाँकि अंतरिम हिरासत अपीलार्थी को सौंप दी गई थी, लेकिन उसने संपत्ति पर किसी भी अधिकार का दावा नहीं किया था और न ही उसने पहले प्रतिवादी के अधिकार या अधिकार से इनकार किया था, इसलिए, सिविल अदालत में पहले प्रतिवादी को हटाने का कोई कारण नहीं था-अपील पर, कहा गयाः जहाँ न्यायालय के समक्ष दावा किया जाता है कि संपत्ति उस व्यक्ति की नहीं है

जिनसे यह जब्त किया गया था, s.452 यह अनिवार्य नहीं करता है कि इसकी अभिरक्षा उस व्यक्ति को सौंपी जानी चाहिए जिसके कब्जे से यह थी

जब्त, वास्तविक स्वामित्व के दावे को ओवरराइड करते हुए जो किसी तीसरे पक्ष की ओर से दावा किया जाता है-प्रथम दृष्टया, इस स्तर पर, प्रथम प्रतिवादी माल के अधिग्रहण या भुगतान में स्वामित्व के दावे के लिए किसी भी आधार का संकेत नहीं दे सका जो उन्हें प्राप्त करने के लिए किया गया था। इसलिए, उसके लिए सक्षम नागरिक मंच के समक्ष इस तरह के दावे को आंदोलन करना उचित था-इस तरह के निर्णय के अभाव में, माल की अभिरक्षा अपीलार्थी के पास ही होनी चाहिए-उच्च न्यायालय

950 भारत शंकर निगम लिमिटेड v. सूर्यनारायणन

न्यायालय प्रथम प्रत्यर्थी को माल की वापसी का निर्देश देने में त्रुटि कर रहा था-माल को 1992 में अपीलार्थी को वापस कर दिया गया था-अपीलार्थी से इन सामानों को अनिश्चित काल तक अपनी हिरासत में रखने की आवश्यकता का कोई औचित्य नहीं है जिससे मूल्यवान स्थान पर कब्जा हो जाए और उत्पादक संसाधनों का उपयोग न हो-अपीलार्थी को सक्षम दीवानी अदालत के समक्ष निर्णय के लिए आवश्यक होने की स्थिति में विचाराधीन सामग्री का एक नमूना संरक्षित करने का निर्देश दिया जाता है-इसके अधीन, अपीलार्थी को नीलामी द्वारा माल बेचने और बिक्री से प्राप्त धन का लेखा रखने की अनुमति दी जाती है।

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973: s.452 प्रासंगिक

विचार-जब्त किए गए माल के स्वामित्व का दावा एस के तहत आदेश पारित करते समय एक प्रासंगिक विचार है। 452 जहाँ संपत्ति के अधिकार के परस्पर विरोधी दावे हैं, मजिस्ट्रेट उनसे निपट सकता है या जहाँ यह पाया जाता है कि प्रतिद्वंद्वी दावों को साक्ष्य परीक्षण के बाद हल करने की आवश्यकता है, तो परस्पर विरोधी दावेदारों को अपने अधिकारों और अधिकारों को साबित करने के लिए खारिज कर सकता है।

सक्षम न्यायालय।

अपील का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1. सी. आर. पी. सी. की धारा 451, जो संपत्ति के निपटान से संबंधित है, उस अदालत को ऐसा आदेश देने का अधिकार देती है जिसके समक्ष संपत्ति को जांच या मुकदमे के दौरान पेश किया जाता है।

जांच या मुकदमे के निपटारे तक उचित या इसकी उचित अभिरक्षा के लिए सोचता है। धारा 452 मुकदमे के समापन पर संपत्ति के निपटारे का प्रावधान करती है। धारा 452 की उप-धारा (1) के संदर्भ में, जब किसी आपराधिक अदालत के समक्ष जांच या मुकदमा समाप्त हो जाता है, तो अदालत को एक आदेश पारित करने का अधिकार होता है।

कब्जे के हकदार होने का दावा करने वाले किसी भी व्यक्ति को विनाश, ज़ब्त या वितरण द्वारा इसके निपटान के लिए उचित आदेश

उसका या अन्यथा। हकदारी एक अधिकार का प्रतिपादन करती है। अदालत धारा 452 के तहत जो कार्य करती है, वह न्यायिक प्रकृति का है। उस आदेश को देने में, अदालत को निस्संदेह उस व्यक्ति द्वारा दावा की गई पात्रता का उचित सम्मान करना चाहिए जो

संपत्ति का अधिकार। आम तौर पर वह व्यक्ति जिससे संपत्ति जब्त की गई थी, धारा 452 के तहत एक आदेश का हकदार होगा, जब कोई विवाद या संदेह नहीं होगा कि संपत्ति उसका है। यह केवल तभी होता है जब संपत्ति व्यक्ति [2018] 13 एस. सी. आर. की होती है।

जिनसे यह जब्त किया गया था कि ऐसा आदेश पारित किया जा सकता है। [पैरा 13,14,16,19,20] [955-एफ-जी; 956-सी, जी-एच; 957-एच, 958-ए-डी]

2.1 प्रथम दृष्टया, इस स्तर पर, जब्त किए गए माल की अभिरक्षा को रिकॉर्ड में सौंपने का कोई उचित आधार नहीं है।

उत्तरदाता। निचली अदालत के फैसले से पता चला कि दावेदार ने 8 फरवरी और 20 फरवरी 1992 के बीच कुछ चालान पेश किए थे, जिसकी वसूली 21 फरवरी 1992 को की गई थी। मजिस्ट्रेट ने नोट किया कि कोई नकद रसीद पेश नहीं की गई थी प्रथम प्रत्यर्थी द्वारा और यद्यपि वाउचर सी. डब्ल्यू.-10 द्वारा प्रस्तुत किए गए थे, लेकिन उन्होंने यह साबित नहीं किया कि वे जब्त किए गए माल की खरीद के लिए थे। जवाब में कुछ भी नहीं दिखाया गया। [पैरा 23] [959-बी-डी]

2.2 दावा जो प्रथम प्रत्यर्थी द्वारा किया गया है

जिन्हें जब्त कर लिया गया है, वे अपीलार्थी के पास बने रहना चाहिए। मजिस्ट्रेट के आदेश से पता चलता है कि अपीलार्थी ने अपने साक्ष्य के माध्यम से संकेत दिया था कि सामान उसके गोदाम से चुराया गया था और ऐसी प्रकृति के थे जो खुले बाजार से प्राप्त करने में सक्षम नहीं थे। उच्च न्यायालय ने पहले प्रतिवादी को माल वापस करने का निर्देश देने में गलती की थी। प्रथम प्रत्यर्थी को, माल पर अपना दावा और अधिकार स्थापित करने के लिए दीवानी अदालत में भेजा जाना चाहिए जैसा कि पारित आदेश में देखा गया है। मजिस्ट्रेट, जिसकी पुष्टि सत्र अदालत ने की थी। माल को 1992 में अपीलार्थी को सौंप दिया गया था। अपीलार्थी द्वारा इन वस्तुओं को अनिश्चित काल के लिए अपनी अभिरक्षा में रखने की आवश्यकता का कोई कारण नहीं है जिससे मूल्यवान स्थान पर कब्जा हो जाए और उत्पादक संसाधनों का उपयोग न हो। अपीलार्थी विचाराधीन माल का एक नमूना सुरक्षित रखेगा, यदि सक्षम दीवानी न्यायालय के समक्ष निर्णय के लिए इसकी आवश्यकता होती है। इसके अधीन, अपीलार्थी को नीलामी द्वारा माल बेचने और उस धन का लेखा रखने की अनुमति दी गई थी जो

बिक्री से प्राप्त किया। [पारस 24,25,26] [959-ई-एच; 960-ए-बी]

एन. माधवन बनाम केरल राज्य (1979) 4 एससीसी 1: [1980]

1 एससीआर 228; पुष्कर सिंह बनाम। मध्य भारत राज्य और अन्य। ए. आई. आर. 1953 एस. सी. 508-पर निर्भर था।

भारत शंकर निगम लिमिटेड v. सूर्यनारायणन

मामला कानून संदर्भ

[1980] 1 एससीआर 228

उस पर भरोसा करें

पै

रा 8

उस पर भरोसा करें

आकाशवाणी 1953 एससी 508

पै

रा 12

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः आपराधिक अपील

2009 का सं. 170।

उच्च न्यायालय के 21.02.2008 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2007 की आपराधिक पुनरीक्षण याचिका संख्या 1457 में एर्नाकुलम में केरल सरकार

आर. डी. अग्रवाल, पवन कुमार, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।

जी. प्रकाश, जिष्णु एम. एल., श्रीमती प्रियंका प्रकाश, श्रीमती बीना

प्रकाश, श्रीगेश एम. के., के. आर. शशिप्रभु, अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.

1. 4 फरवरी 1992 को एक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई थी।

आरोप है कि 10,285 किलोग्राम तांबे के तार और 62 सीसे की चोरी हुई है

रुपये के मूल्य की बाजू। 8,31,300 / - यह एर्नाकुलम के गांधी नगर में पूर्व दूरसंचार विभाग के गोदाम से हुआ था। अभियुक्त ने कथित तौर पर पहले प्रतिवादी को सामग्री बेच दी थी। पहला प्रतिवादी सूर्या मेटल्स के नाम से एक इकाई का मालिक होता है।

2. 21 फरवरी 1992 को सर्कल इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, एर्नाकुलम

पुलिस स्टेशन ने पहले प्रतिवादी से 5,060 किलोग्राम तांबे के सीसे के मिश्र धातु के सांचे जब्त किए।

3. 21 फरवरी 1992 के एक आदेश द्वारा, की अंतरिम हिरासत

जब्त मिश्र धातु के सांचों को मजिस्ट्रेट द्वारा दंड संहिता की धारा 451 के प्रावधानों के अनुसरण में अपीलार्थी को सौंप दिया गया था।

प्रक्रिया, 1973 ("सीआरपीसी")।

4. जाँच के अनुसार, 1993 का आपराधिक मामला संख्या 433

भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 34 के साथ पठित धारा 457,381,461,462 और 411 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, एर्नाकुलम की फाइल पर दर्ज किया गया था। पहले प्रतिवादी को गवाह के रूप में उद्धृत किया गया था (सी. डब्ल्यू.-10)।

5. 30 अप्रैल 1999 के एक निर्णय और आदेश द्वारा, निचली अदालत ने

चारों अभियुक्तों को उन अपराधों से बरी कर दिया गया जिनके लिए उन पर आरोप लगाए गए थे। बरी होने के बाद, पहले प्रतिवादी ने एक आवेदन दायर किया, जो 1999 की आपराधिक विविध याचिका संख्या 5076 (सी. सी. संख्या में) थी।

433/1999) मिश्र धातु के सांचों को जारी करने की मांग करने वाली दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 452 के तहत जे. एम. एफ. सी. की फाइल पर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

6. बरी किए जाने के फैसले पर राज्य द्वारा आपराधिक मामले में हमला किया गया था

1999 की अपील सं. 730। संपत्ति की रिहाई के लिए आवेदन प्रथम प्रतिवादी द्वारा दायर याचिका को स्थगित कर दिया गया था। 19 जनवरी 2006 को, बरी करने के आदेश के खिलाफ राज्य द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया गया था।

7. जब्त सामग्री को जारी करने के लिए प्रथम प्रतिवादी द्वारा दायर आवेदन का न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा 31 अगस्त को निपटारा किया गया था।

2006. मजिस्ट्रेट ने कहा कि हालांकि अपीलार्थी (वास्तविक शिकायतकर्ता) को 22 फरवरी 1992 को अंतरिम हिरासत दी गई थी, लेकिन पहले प्रतिवादी ने 21 जून 1999 को ही धारा 452 के तहत आवेदन दायर किया था। जब्त की गई सामग्री की अभिरक्षा देने से इनकार करते हुए, निचली अदालत ने पहले प्रतिवादी को एक सक्षम दीवानी अदालत के समक्ष अपना हक साबित करने के लिए भेज दिया। 13 मार्च 2007 के एक निर्णय द्वारा सत्र न्यायालय ने विद्वान मजिस्ट्रेट के निष्कर्ष की पुष्टि की और कहा कि पहले प्रतिवादी ने 1999 तक जब्त किए गए सामान के संबंध में न तो दावा किया था और न ही यह इंगित करने के लिए कोई ठोस सबूत था कि सामग्री संबंधित थी।

इसके लिए। इसलिए, इस निर्देश की पुष्टि की गई कि यह पहले प्रतिवादी के लिए था कि वह अपने अधिकार का दावा करे और दीवानी अदालत के समक्ष इसे साबित करे। प्रथम प्रत्यर्थी ने उच्च न्यायालय के समक्ष आपराधिक पुनरीक्षण में सत्र न्यायालय के उपरोक्त आदेश पर हमला किया।

8. 21 फरवरी 2008 के अपने फैसले से, उच्च न्यायालय ने सत्र न्यायालय के फैसले को उलट दिया और कहा कि अपीलार्थी जब्त की गई वस्तुओं पर कोई दावा नहीं किया था। उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि चूंकि माल का कब्जा पहले प्रतिवादी से ले लिया गया था जब उन्हें जब्त कर लिया गया था, इसलिए एन. माधवन बनाम केरल राज्य मामले में इस न्यायालय के फैसले को देखते हुए इसे पहले प्रतिवादी को बहाल किया जाना चाहिए। उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि हालाँकि अंतरिम अभिरक्षा अपीलार्थी को सौंप दी गई थी, लेकिन उसने संपत्ति पर किसी भी अधिकार का दावा नहीं किया, न ही उसने पहले प्रतिवादी के अधिकार या अधिकार से इनकार किया और इसलिए, पहले प्रतिवादी को दीवानी अदालत में भेजने का कोई कारण नहीं था। न्यायिक मजिस्ट्रेट को पहले प्रतिवादी को संपत्ति सौंपने के लिए कदम उठाने का निर्देश दिया गया था।

9. 27 जनवरी 2009 को इन कार्यवाही में अनुमति दी गई थी। इनके लंबित रहने के दौरान उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी गई थी।

कार्यवाही। 10. अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील प्रस्तुत करते हैं कि मजिस्ट्रेट ने मामले के तथ्यों का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन किया था और

अपने गवाह के माध्यम से देखा था कि यह बी. एस. एन. एल. का सुसंगत मामला था

1 [(1979) 4 एस. सी. सी. 1] भारत शंकर निगम लिमिटेड v. सूर्यनारायणन [डॉ. धनंजय चंद्रचूड, जे।]

पीडब्लू-3, जो डिवीजनल इंजीनियर (दूरसंचार) था कि उसे महाप्रबंधक (स्टोर) से प्राप्त सामग्री की चोरी का सामना करना पड़ा था,

कलकत्ता। इसके अलावा, सामग्री एक ऐसी प्रकृति की थी जिसे खुले बाजार से नहीं खरीदा जा सकता था। दूरसंचार के अधिकारी

विभाग, पीडब्लू 1,2,4 और 5 ने सामग्री की पहचान चोरी के रूप में की थी।

सामान। विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि आपराधिक मामले के निपटारे तक, प्रथम प्रतिवादी द्वारा स्वामित्व के अपने कथित दावे का दावा करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया था। इसके विपरीत, माल का कब्जा 21 फरवरी 1992 को बी. एस. एन. एल. को सौंप दिया गया।

11. जहाँ तक माधवन (उपरोक्त) मामले में इस न्यायालय के निर्णय का संबंध है, यह सिद्धांत प्रस्तुत किया गया है कि माल को उस व्यक्ति को वापस कर दिया जाना चाहिए जिससे उन्हें जब्त किया गया है, एक सिद्धांत है जो सामान्य रूप से लागू होता है। हालांकि, उस मूल मालिक का अधिकार, जिसकी हिरासत से चोरी हुई थी, उस मामले में कब्जा बहाल करके शून्य नहीं किया जा सकता है, जहां उस व्यक्ति का अधिकार नहीं है जिसकी हिरासत से माल जब्त किया गया है। विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि, बी. एस. एन. एल. किसी भी कार्यवाही में पक्षकार नहीं था, जिसमें वे भी शामिल थे जो उच्च न्यायालय के विवादित आदेश में समाप्त हुए।

12. दूसरी ओर, प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि कानून का सिद्धांत जो निर्धारित किया गया है माधवन (ऊपर) के निर्णय में कानून में शासी स्थिति का स्पष्ट रूप से संकेत दिया गया है। विद्वान वकील ने पुष्कर सिंह बनाम मध्य राज्य मामले में इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ के फैसले पर भी भरोसा किया।

भारत और Ors.² जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि बरी होने पर

अभियुक्त से जब्त किए गए और उससे संबंधित धन को अभियुक्त को वापस किया जाना चाहिए न कि शिकायतकर्ता को। इन परिस्थितियों में, यह प्रस्तुत किया गया था कि उच्च न्यायालय का दृष्टिकोण कानून की स्थिति के अनुरूप है और अपील में कोई हस्तक्षेप आवश्यक नहीं है।

13. सी. आर. पी. सी. की धारा 451 सी. आर. पी. सी. के अध्याय XXXIV का हिस्सा है, जो संपत्ति के निपटान से संबंधित है। धारा 451 निम्नलिखित रूप में प्रदान करता है:

" 451. कुछ मामलों में विचाराधीन संपत्ति की अभिरक्षा और निपटान के लिए आदेश। जब किसी संपत्ति को किसी जांच या मुकदमे के दौरान किसी आपराधिक न्यायालय के समक्ष पेश किया जाता है, तो न्यायालय ऐसा आदेश दे सकता है जो वह जांच या मुकदमे के समापन तक ऐसी संपत्ति की उचित अभिरक्षा के लिए उचित समझे, और यदि संपत्ति निम्नलिखित के अधीन है -

त्वरित और प्राकृतिक क्षय, या यदि ऐसा करना अन्यथा समीचीन है,

न्यायालय, ऐसे साक्ष्य को अभिलिखित करने के बाद जो वह आवश्यक समझे,

इसे बेचने या अन्यथा निपटाने का आदेश दें। स्पष्टीकरण। - इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "संपत्ति" में शामिल हैं -

(क) किसी भी प्रकार की संपत्ति या दस्तावेज जो पहले प्रस्तुत किया जाता है।

न्यायालय या जो उसकी अभिरक्षा में है,

((ख) ऐसी कोई संपत्ति जिसके संबंध में अपराध प्रतीत होता है।

प्रतिबद्ध किया गया था या जिसके लिए उपयोग किया गया प्रतीत होता है

किसी भी अपराध का करना।

14. धारा 451 उस अदालत को, जिसके समक्ष संपत्ति को जांच या मुकदमे के दौरान पेश किया जाता है, ऐसा आदेश देने का अधिकार देती है जो वह उचित समझे या जांच या मुकदमे के निपटारे तक इसकी उचित अभिरक्षा के लिए। धारा 452 मुकदमे के समापन पर संपत्ति के निपटान का प्रावधान करती है।

15. धारा 452 की उप-धारा (1) और (2) में निम्नलिखित प्रावधान हैं:

" 452. मुकदमे के समापन पर संपत्ति के निपटान के लिए आदेश।

(1) जब किसी आपराधिक न्यायालय में कोई जांच या मुकदमा समाप्त हो जाता है, तो न्यायालय ऐसा आदेश दे सकता है जो वह किसी संपत्ति के निपटारे के लिए उचित समझे, किसी भी व्यक्ति को नष्ट करके, जब्त करके या वितरित करके, जो उस पर कब्जा करने या अन्यथा करने का दावा करता है।

उसके समक्ष या उसकी अभिरक्षा में प्रस्तुत किया गया दस्तावेज, या जिसके बारे में कोई अपराध किया गया प्रतीत होता है, या जिसका उपयोग किसी अपराध के लिए किया गया है। (2) उप-धारा (1) के तहत किसी भी संपत्ति के हकदार होने का दावा करने वाले किसी भी व्यक्ति को किसी भी संपत्ति के वितरण के लिए आदेश दिया जा सकता है।

यदि उप-धारा (1) के तहत दिए गए आदेश को संशोधित किया जाता है या रद्द कर दिया जाता है, तो बिना किसी शर्त या शर्त के कि वह न्यायालय की संतुष्टि के लिए प्रतिभूतियों के साथ या बिना किसी मुचलके का निष्पादन करता है, अदालत को ऐसी संपत्ति बहाल करने में संलग्न होता है।

अपील या पुनरीक्षण "।

16. धारा 452 की उप-धारा (1) के संदर्भ में, जब किसी आपराधिक न्यायालय के समक्ष जांच या मुकदमा समाप्त हो जाता है, तो न्यायालय को अधिकार दिया जाता है। इसके कब्जे के हकदार होने का दावा करने वाले किसी भी व्यक्ति को नष्ट, ज़ब्त या वितरण द्वारा इसके निपटान के लिए एक उचित आदेश पारित करना।

या अन्यथा। हकदारी एक अधिकार का प्रतिपादन करती है। अदालत धारा 452 के तहत जो कार्य करती है, वह न्यायिक प्रकृति का है। उस आदेश को देने में, अदालत को निस्संदेह उस व्यक्ति द्वारा दावा की गई पात्रता का उचित सम्मान करना चाहिए जो संपत्ति का कब्जा चाहता है।

17. हम उस प्रस्तुति की सदस्यता लेने में असमर्थ हैं जिसका आग्रह पहले प्रतिवादी की ओर से किया गया है कि जब वह आदेश देता है

धारा 452 के तहत, अदालत को केवल उस स्रोत का निर्धारण करने की आवश्यकता है जिससे संपत्ति जब्त की गई थी। वास्तव में, अगर यह निर्माण था

इसका अर्थ यह होगा कि संपत्ति पर अधिकार का दावा करने वाले व्यक्ति का अधिकार उस व्यक्ति के दावे के अधीन होगा जिसके कब्जे से संपत्ति जब्त की गई थी। माल के स्वामित्व का दावा जो धारा 452 के तहत आदेश पारित करते समय जब्त किए गए हैं जो एक प्रासंगिक विचार है। जहां संपत्ति के हक के परस्पर विरोधी दावे हैं, मजिस्ट्रेट उनसे निपट सकता है या जहां यह पाया जाता है कि प्रतिद्वंद्वी दावों को साक्ष्य परीक्षण के बाद हल करने की आवश्यकता है, तो वे खारिज कर सकते हैं।

18. वास्तव में माधवन (ऊपर) में इस न्यायालय के निर्णय का आधार यही है। उस मामले में, आरोपी पर एक अपराध के तहत आरोप लगाया गया था आई. पी. सी. की धारा 307 किसी व्यक्ति को लाइसेंस प्राप्त बंदूक से गोली मारने के लिए है। उन्हें अपराध करने के आरोप से बरी कर दिया गया था

इस आधार पर कि उन्होंने आत्मरक्षा के अपने अधिकार का प्रयोग किया था। फिर भी निचली अदालत ने सरकार को हथियार जब्त कर लिया था। इस न्यायालय ने उच्च न्यायालय के उस फैसले को रद्द कर दिया जिसने सत्र न्यायालय द्वारा लिए गए दृष्टिकोण को बरकरार रखा था। इस न्यायालय द्वारा निर्धारित सिद्धांत इस प्रकार हैः

" इस धारा में शब्द "ऐसा आदेश दे सकता है जो वह उचित समझे", अदालत को किसी भी मामले में संपत्ति का निपटान करने का विवेकाधिकार देता है।

अनुभाग में निर्दिष्ट तीन विधियों में से। लेकिन इस तरह के विवेक का प्रयोग स्वाभाविक रूप से न्यायिक कार्य है। निपटान के तरीके या तरीके का चुनाव मनमाने ढंग से नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि न्यायिक रूप से संपत्ति के वर्ग और प्रकृति और उसके सामने की सामग्री को ध्यान में रखते हुए तर्क और न्याय पर आधारित ठोस सिद्धांतों के अनुसार किया जाना चाहिए। ऐसे मान्यता प्राप्त सिद्धांतों में से एक

यह है कि जब किसी जांच या मुकदमे के बाद आरोपी को आरोपमुक्त या बरी कर दिया जाता है, तो अदालत को आम तौर पर उस व्यक्ति को वर्ग (ए) या (बी) की संपत्ति बहाल करनी चाहिए जिसकी हिरासत से इसे लिया गया था। अभ्यास के इस हितकारी नियम से प्रस्थान को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए, जब कोई विवाद या संदेह न हो-जैसे कि तत्काल मामले में कि विचाराधीन संपत्ति को ऐसे लोगों की हिरासत से जब्त कर लिया गया था।

अभियुक्त और उसका था। "

19. उपरोक्त टिप्पणियों से संकेत मिलता है कि वह प्राधिकरण जो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 452 ([2018] 13 एस. सी. आर. के समतुल्य) के तहत न्यायालय को सौंपा गया है।

1898 की संहिता की धारा 517) न्यायिक प्रकृति की है। न्यायिक शक्ति के रूप में, इसका प्रयोग न्यायालय के समक्ष संपत्ति के वर्ग और प्रकृति और सामग्री को ध्यान में रखते हुए वैध कारणों के लिए किया जाना चाहिए। आम तौर पर अदालत, अभियुक्त के आरोपमुक्त या बरी होने के बाद, उस व्यक्ति को संपत्ति बहाल करेगी जिसकी हिरासत से इसे लिया गया था। अभ्यास के इस नियम से हटना तब आसान नहीं होता है जब कोई विवाद या संदेह नहीं होता है कि आरोपी की हिरासत से जब्त की गई संपत्ति उसकी है। माधवन (ऊपर) में इस न्यायालय के निर्णय में ये टिप्पणियां स्पष्ट रूप से इंगित करती हैं कि आम तौर पर व्यक्ति

जिनसे संपत्ति जब्त की गई थी, वह धारा 452 के तहत आदेश का हकदार होगा, जब कोई विवाद या संदेह नहीं होगा कि संपत्ति उसकी है। ऐसा आदेश तभी पारित किया जा सकता है जब संपत्ति उस व्यक्ति की हो जिससे इसे जब्त किया गया था।

20. जहाँ न्यायालय के समक्ष दावा किया जाता है कि संपत्ति

यह उस व्यक्ति से संबंधित नहीं है जिससे इसे जब्त किया गया था, धारा 452 यह आदेश नहीं देती है कि इसकी हिरासत उस व्यक्ति को सौंप दी जानी चाहिए।

जिनके कब्जे से इसे जब्त कर लिया गया था, वास्तविक स्वामित्व के दावे को ओवरराइड करते हुए जो किसी तीसरे पक्ष की ओर से दावा किया जाता है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि माधवन मामले (उपरोक्त) में, इस बात पर कोई विवाद नहीं था कि अपराध का हथियार उस आरोपी का था जिससे इसे जब्त किया गया था।

21. पुष्कर सिंह (उपरोक्त) मामले में निर्णय में अभियोजन शामिल था।

ग्वालियर दंड संहिता की धारा 449 और 372 के तहत अपराधों के लिए। मजिस्ट्रेट ने कहा कि आरोपी के खिलाफ कोई मामला स्थापित नहीं हुआ है और उसके घर से बरामद किया गया पैसा उसका है। एक विशिष्ट निष्कर्ष निकला कि पैसा शिकायतकर्ता का नहीं था। सत्र न्यायाधीश ने शिकायतकर्ता द्वारा किए गए संशोधन को खारिज कर दिया। अभियुक्त को नहीं बल्कि शिकायतकर्ता को राशि वापस करने के लिए उच्च न्यायालय का रुख किया गया था, जिसके आवेदन को स्वीकार कर लिया गया था। इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि मजिस्ट्रेट द्वारा तथ्य के स्पष्ट निष्कर्ष को ध्यान में रखते हुए कि कुल राशि के संबंध में कोई अपराध नहीं किया गया था

पैसा और यह कि यह शिकायतकर्ता का नहीं था, इसके बाद आरोपी को बरी कर दिया गया, बरामद की गई राशि को आरोपी को दिया जाना था। इसलिए, इस न्यायालय का विचार था कि अभियुक्त के बरी होने के बाद और चूंकि एक विशिष्ट निष्कर्ष था कि पैसा उसका था, इसलिए शिकायतकर्ता को पैसे वापस करने का आदेश स्वीकार नहीं किया जा सकता था।

22. तथापि, प्रथम प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील प्रस्तुत करते हैं कि वर्तमान मामले में, अपीलार्थी ने भारत संचार निगम लिमिटेड v.

सूर्यनारायणन [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

धारा 452 के तहत आवेदन और इसलिए अपीलार्थी को कानूनी अधिकार की बहाली के लिए उस प्रावधान के संदर्भ में कोई आदेश पारित नहीं किया जा सकता है। हालाँकि, न्यायालय के समक्ष मुद्दा कुछ अलग है। बुनियादी मुद्दा यह है कि क्या पहला प्रतिवादी जिसने आवेदन दायर किया था।

धारा 452 के तहत जब्त की गई संपत्ति को उसे जारी करने के लिए हकदारी का दावा स्थापित किया गया है।

23. प्रथम दृष्टया, इस स्तर पर, हम जब्त किए गए सामान की अभिरक्षा को सौंपने के लिए रिकॉर्ड में कोई उचित आधार खोजने में असमर्थ हैं। उत्तरदाता। सुनवाई के दौरान, हमने पहले प्रतिवादी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील से अनुरोध किया कि वे कम से कम, प्रथम दृष्टया, माल के अधिग्रहण में स्वामित्व के दावे या उन्हें प्राप्त करने के लिए किए गए भुगतान के लिए कुछ आधार इंगित करें। जैसा कि हम निचली अदालत के फैसले से नोट करते हैं, दावेदार ने 8 फरवरी और 20 फरवरी 1992 के बीच कुछ चालान पेश किए थे, वसूली।

वाउचर सी. डब्ल्यू.-10 द्वारा प्रस्तुत किए गए थे, उन्होंने यह साबित नहीं किया कि वे जब्त किए गए सामान की खरीद के लिए थे। कुछ भी नहीं दिखाया गया है हमारे प्रश्न का उत्तर दें।

इस आदेश में, हम इस तथ्य से भी निर्देशित हैं कि जैसा कि मजिस्ट्रेट के आदेश में देखा गया है, अपीलार्थी ने अपने साक्ष्य के माध्यम से संकेत दिया था कि सामान उसके गोदाम से चोरी किया गया था और ऐसी प्रकृति के थे जो खुले बाजार से प्राप्त करने में सक्षम नहीं थे। 25. उच्च न्यायालय ने पहले प्रतिवादी को माल वापस करने का निर्देश देने में गलती की थी। प्रथम प्रत्यर्थी को, हमारे विचार में, मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश में देखे गए माल पर अपने दावे और स्वामित्व को स्थापित करने के लिए दीवानी अदालत में भेजा जाना चाहिए, जिसकी पुष्टि सत्रों द्वारा की गई थी।

अदालत।

26. माल को 21 फरवरी 1992 को अपीलार्थी को सौंप दिया गया था। तब से लगभग 26 साल बीत चुके हैं। हम नहीं देखते हैं अपीलार्थी से इन वस्तुओं को अनिश्चित काल के लिए अपनी अभिरक्षा में रखने की आवश्यकता का कारण या औचित्य जिससे मूल्यवान स्थान पर कब्जा हो जाए और [2018] 13 एस. सी. आर.

अनुमान, क्या यह यू. आर. टी. के समक्ष निर्णय के लिए आवश्यक होना चाहिए। इसके अधीन, हम नीलामी द्वारा अपीलार्थी को अनुमति देते हैं और धन का लेखा रखने की अनुमति देते हैं।बिक्री से प्राप्त।

अपीलार्थी द्वारा वसूल की गई राशि का अनुपालन सक्षम दीवानी न्यायालय द्वारा मुकदमे में पारित किया जा सकता है।

पहले उत्तरदाता द्वारा शीर्षक दिया गया।

तदनुसार, सभी अपीलों का निपटारा किया जाता है।

अपील का निपटारा किया गया।